FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत––जिला कलक्टर मुकाम : दौसा

श्रीनारायण **बनाम सरकार**

किस्म मुकदमा– अपील अंतर्गत धारा 91 भू0रा0अ0 प्रकरण संख्या 103/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.02.2021	पत्रावली पेश हुई। बार–2 आवाज लगवाने के उपरांत भी अपीलांट अथवा अधिवक्ता अपीलांट में से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे निवेदन किया कि नायब तहसीलदार महवा द्वारा मु0 नं0 287/2017 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम श्रीनारायण में पारित निर्णय दिनांक 22.12.2017 विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए विधि एवं नियमों के तहत पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मीमों एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन करते हुए राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। इससे स्पष्ट जाहिर होता हैं कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 01.12.2017 को हल्का पटवारी द्वारा पश्चातवर्ती रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी कर एवं पटवारी हल्का के बयान लेकर दिनांक 22.12.2017 को निर्णय पारित किया गया है जो विधिसम्मत है जिसमे हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भंडार हो। निर्णय आज दिनांक 17.2.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया। जिला कलक्टर दौसा जिला कलक्टर दौसा	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official